

**इलायची के ब्यौहारी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले समर्थक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ**

1. पैन कार्ड की प्रति।
2. जीएसटी प्रमाणपत्र पंजीकरण की प्रति।
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्रति।
4. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आय कर विवरणी की पावती की प्रति।
5. नवीनतम जीएसटी विवरणी पावती की प्रति।
6. ईएसआई पंजीकरण की प्रति (यदि अनुप्रयोज्य हो)।
7. पीएफ पंजीकरण की प्रति (यदि अनुप्रयोज्य हो)।
8. इलायची व्यापार करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति।
9. आवेदक की वित्तीय स्थिति के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में बैंकों की रिपोर्ट।

**कंपनियों की श्रेणी में आनेवाले आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज़:**

1. लेखा का ज्ञापन / संस्था के अंतर्नियम की प्रति
2. निगमन प्रमाणपत्र की प्रति।
3. नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति (फॉर्म एमजीटी-7)।
4. स्व-घोषणा की प्रति कि कंपनी का कोई भी निदेशक आवेदन की तिथि के अनुसार निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं है।
5. प्रोफाइल के साथ निदेशकों का नाम, आवासीय पता।
6. निदेशकों के पैन कार्ड की प्रतियाँ
7. निदेशकों के डीआईएन नंबर की प्रति।

**फर्म से संबंधित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज़:**

1. भागीदारी फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति (यदि अनुप्रयोज्य हो)।
2. भागीदारी विलेख की प्रति (यदि अनुप्रयोज्य हो)।
3. भागीदारों का नाम, आवासीय पता।
4. भागीदारों के पैन कार्ड की प्रति।

**बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 के 39) के तहत पंजीकृत बहु राज्य सहकारी समिति या समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 के 21) के तहत पंजीकृत धर्मार्थ समिति के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज़।**

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
2. उपनियमों की प्रति
3. वर्तमान पदाधिकारियों/न्यासियों का नाम, आवासीय पता और विवरण।
4. पदाधिकारी/न्यासी के पैन कार्ड की प्रति।